रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2009/फाल्गुन 22, 1930

No. 148] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2009/PHALGUNA 22, 1930

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2009

सा.का.नि. 167(अ).—केन्द्र सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा वायुयान नियम, 1937, में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामश:–

1. (1) इन नियमों को वायुयान (आठवां संशोधन) नियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान नियमावली, 1937, में –

(1) नियम 19 में, –

(i) उप-नियम (1) में, "किसी वायुयान के सम्बन्ध में इन नियमों" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामश:–

"किसी वायुयान के सम्बन्ध में इन नियमों या नियम 133क के अन्तर्गत जारी निदेश"

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, नामश:–

"(2क) सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट हो, कि कोई व्यक्ति इन नियमों या नियम 133क के अन्तर्गत जारी किसी निदेश का उल्लंघन करता है या उनका पालन करने में असफल रहता है तो वह, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी भी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, प्राधिकार या अनुमोदनपत्र को निलम्बित या रद्द कर सकता है या उनमें प्रविष्ट किए गए किन्हीं विवरणों में परिवर्तन कर सकता है, और लाइसेंस, प्रमाणपत्र, प्राधिकार या अनुमोदन धारक को इसके रद्दकरण, निलम्बन, पृष्ठांकन या परिवर्तन के लिए अभ्यर्पित करने को कहे ।"

(iii) उप-नियम (3क) में, "लघुभार वायुयान के प्रचालन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करता है या उनका पालन करने में असफल" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामश:–

"लघुभार वायुयान के प्रचालन से सम्बन्धित नियमों या नियम 133क के अन्तर्गत जारी किसी निदेश का उल्लंघन करता है या उनका पालन करने में असफल"

(2) नियम 133क में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, नामश:–

"(3) उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक निदेश का अनुपालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसको या जिन्हें ऐसा निदेश जारी किया गया है ।"

(3) नियम 161 में, "इन नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति," शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामश:–

"इन नियमों या नियम 133क के अनतर्गत जारी निदेशों में से किसी का उल्लंघन करने या उनके अनुपालन में असफल रहने वाला कोई भी व्यक्ति"

(4) अनुसूची VI में,

(i) क्रम संख्या 21 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, नामश:–

"21क.	नियम 133क के अन्तर्गत जारी किसी निदेश के अनुपालन में असफलता	133क" 161

(ii) प्रविष्टि 22 के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामश:–

"22.	किसी नियम के अन्तर्गत या इसके द्वारा प्रतिबंधित कोई कार्य करना, या किसी नियम के अन्तर्गत या इसके द्वारा किए जाने के लिए, अपेक्षित कोई कार्य करने में असफलता, इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ।	..."

[फा. सं. एवी-11012/7/2009-ए]

प्रशान्त सुकुल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : (1) मूल नियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना संख्या वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन दिनांक 19 फरवरी, 2009 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित, सा.का.नि. 101(अ) तारीख 19 फरवरी, 2009 द्वारा किया गया ।

(2) केन्द्र सरकार ने वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी तारीख 23-02-2009 के अपने आदेश सं.ए.वी. 11012/7/2009ए द्वारा इस अधिसूचना के मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्तों से जनहित में छूट दी है ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2009

G.S.R. 167(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (8th Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, –

(1) in rule 19,—

(i) in sub-rule (1), for the words "these rules in respect of any aircraft", the following words shall be substituted, namely :—

"these rules or any direction issued under rule 133A in respect of any aircraft"

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2A) Where the licensing authority is satisfied, after giving him an opportunity of being heard, that any person has contravened or failed to comply with these rules or any direction issued under rule 133A, it may, for reasons to be recorded in writing, suspend or cancel or vary any particulars entered in any licence, certificate, authorization or approval granted by it, and may require the holder of the licence, certificate, authorization or approval to surrender the same for cancellation, suspension endorsement or variation."

(iii) in sub-rule (3A), for the words "contravenes or fails to comply with these rules relating to the operation of Microlight aircraft", the following words shall be substitued, namely :—

"contravenes or fails to comply with these rules or any direction issued under rule 133A relating to the operation of Microlight aircraft"

(2) in rule 133A, after sub-rule(2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied with by the person or persons to whom such direction is issued."

(3) in rule 161, for the words "Any person contravening any of these rules shall", the following words shall be substituted, namely :—

"Any person who has contravened or failed to comply with any of these rules or any direction issued under rule 133A shall"

(4) in Schedule VI,

(i) after serial number 21, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :—

"21A.	Failure to comply with any direction issued under rule 133A	133A" 161

(ii) for entry 22, the following entry shall be substituted, namely :—

"22. The doing of any act prohibited by ..." or under any rule, or failure to do any act required to be done by or under any rule, not specified elsewhere in this Schedule.

[F. No. AV-11012/7/2009-A]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

Note: (1) The principal rules were published in the Official Gazette vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by notification No. G.S.R. 101(E) dated 19-02-2009 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India on 19th February, 2009.

(2) The Central Government in exercise of the powers conferred by proviso to Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) has in the public interest dispensed with the condition of previous publication in case of this notification *vide* its order No. AV. 11012/7/2009A dated 23rd February, 2009 issued in the Ministry of Civil Aviation.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.